



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1982/2021

URN: CMA / 3044U / 2021

Mubarik S/o Jeet Khan, Aged About 41 Years, Presently R/o Idgah Colony, Pappu Khan Ka Makan, Kumher Gate, Bharatpur (Raj.).

----Appellant/Claimant

Versus

1. Yasin S/o Bundi, R/o Vill. Ted, Tehsil Firozpur, Distt. Mewat (Haryana)(Owner Tempo No. HR-55-A-3691)
2. Rashid S/o Aamin, R/o Jaiwatka, Tehsil Punhana, Distt. Mewat (Haryana)(Driver Tempo No. HR-55-A-3691)
3. The New India Assurance Company Ltd., Through Branch Manager, The New India Assurance Company Ltd. Nayi Mandi Station Road, Bharatpur (Insurer Tempo No. HR-55-A-3691).

----Respondents/Non Claimants

For Appellant(s) : Mr. Navankur Dubey, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Ram Singh Rathore, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

10/07/2026

1. अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गई अपील में अपीलार्थी द्वारा रैस्पोंडेंट नम्बर-1 व 2 की तामील बंद किये जाने का निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थी के जोखिम पर रैस्पोंडेंट नम्बर-1 व 2 की तामील "Dispense With" की जाती है। उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की प्रार्थना पर प्रकरण को इसी स्तर पर अंतिम निस्तारण हेतु सुना गया।

2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-329/2007 (80/2009), बउनवान मुबारिक बनाम श्री यासीन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



3. अपीलार्थी **मुबारिक** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 31,73,600/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 3,06,814/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 1,898/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना पल्लेदारी (मजदूरी) का कार्य कर प्रतिमाह 4,500/- रुपये की आय अर्जित करता था। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के दाहिने पैर में आई गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का दाहिना पैर टखने के ऊपर से काटा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर कुल 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता कारित होना बताया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 50 प्रतिशत आंका जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।
6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
7. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम



न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampanappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"**12.** In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:

"**15.** It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field.""

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 25.03.2006 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को पल्लेदारी (मजदूरी) का कार्य कर प्रतिमाह 4,500/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में



रखा जाकर वर्ष 2004 में प्रचलित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अपीलार्थी की मासिक आय 1,898/— रुपये निर्धारित की गयी है। घटना दिनांक 25.03.2006 की बताई गई है। श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2006 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2004 के पश्चात् वर्ष 2008 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2004 में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 73/— रुपये तथा वर्ष 2008 में 100/— रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी दैनिक आय 85/— रुपये, तदनुसार **मासिक आय 85 x 30 = 2,550/— रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 27 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 27 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 27 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसाययी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 2,550/— रुपये में 40 प्रतिशत अर्थात् 1,020/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 3,570/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है तथा अपीलार्थी के दाहिने पैर में कारित गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का दाहिना पैर टखने के ऊपर से काटा गया है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा **पप्पू देव यादव बनाम नरेश कुमार व अन्य, रिपोर्टेड इन 2021 (1) आर.ए.आर. 49 (एस.सी.)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को कारित



हुई 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 50 प्रतिशत आंका गया है।

10. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त

Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr. reported in **2025 SCC Online SC 276**, के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :—

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

11. इस प्रकार **प्रकाश चंद शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह हो तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

12. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को पल्लेदारी (मजदूरी) का कार्य करना बताया गया है। एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण शारीरिक बल को लगाकर कार्य करना होता



है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत होते हुए अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 में दर्शायी गयी 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में भी 70 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। अपीलार्थी को कारित हुई 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 70 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 3,570/- रुपये का 70 प्रतिशत 2,499/- रुपये होता है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 27 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **2,499 x 12 x 17 = 5,09,796/- रुपये** होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 6,000/- रुपये तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 1,40,000/- रुपये तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में हम, 1,40,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाज के दौरान व्यय की गई राशि के मद में 10,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा पौष्टिक आहार की मद में 4,000/- रुपये तथा यातायात व परिवहन व्यय राशि के मद में 5,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, जो कम है। मामले की दुर्घटना में कारित चोटों



के फलस्वरूप अपीलार्थी का दाहिना पैर टखने के ऊपर से काट दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा स्वयं के इलाज हेतु बार-बार अस्पताल भी आना-जाना पड़ा होगा। अतः पौष्टिक आहार की मद में हम, 20,000/— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 04 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः 04 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में हम, 500/— रुपये की प्रतिदिन की दर से कुल 2,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में 800/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम है। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में कारित हुई गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का दाहिना पैर टखने के ऊपर से काटा गया है। जिस कारण अपीलार्थी अपना शेष जीवन दूसरों के सहारे जीने हेतु बाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में हम, परिचारक/सहायक की मद में 1,50,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. इलाज के दौरान अपीलार्थी का दाहिना पैर टखने के ऊपर से काट दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा भविष्य में कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) लगवाये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मद में हम, 1,00,000/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	5,09,796/—
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	1,40,000/—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	1,40,000/—



4.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	10,000 /—
5.	पौष्टिक आहार की मद में	20,000 /—
6.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	15,000 /—
7.	04 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	2,000 /—
8.	परिचारक/सहायक की मद में	1,50,000 /—
9.	कृत्रिम अंग आदि पर व्यय राशि तथा उसके रखरखाव की मद में	1,00,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		10,86,796 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		3,06,814 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		7,79,982 /—

20. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **3,06,814 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **10,86,796 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।
21. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
22. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख, संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।
23. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
24. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J